

पुलिस आदेश सं० 275 /2000

॥ पुलिस हस्तक नियम-825 पुलिस हस्तक परिशिष्ट-84॥


विषय:- टी० टी० एस०, जमशेदपुर में कार्यरत कर्मियों एवं प्रशिक्षुओं के विस्तार अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में ।

=====

पुलिस आदेश सं० 252/95 की कंडिका-5 में यह आदेश दिया गया था कि "प्रशिक्षुगणों के विस्तार विभागीय कार्यवाही प्रशिक्षण संस्थान में ही प्रारम्भ की जाएगी । उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन स्थानीय प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/समादेष्टा के आदेश से ही उसी प्रशिक्षण संस्थान के किसी स्क्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा विभागीय कार्यवाही के सम्पादन के उपरांत उचित अंतिम आदेश प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/समादेष्टा द्वारा पारित कर प्रशिक्षुगणों के पैतृक जिला के आरक्षी अधीक्षक को उक्त जिलादेश अंकित करने हेतु भेज दिया जाएगा ।"

प्राचार्य, टी० टी० एस०, जमशेदपुर आरक्षी उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारी हैं । पुलिस हस्तक नियम-825 के तहत उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को सजा देने का अधिकार नहीं है और पुलिस हस्तक परिशिष्ट-84 में सजा देने के स्क्षम पदाधिकारी की सूची में आरक्षी उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारी को चर्चा नहीं है । अतः पुलिस आदेश सं० 251/95 में संशोधन की आवश्यकता है । विचारोपरति निम्नलिखित आदेश विजा जाता है :-

टी० टी० एस०, जमशेदपुर में कार्यरत, प्रशिक्षणरत पुलिस कर्मियों के विस्तार विभागीय कार्यवाही करने तथा संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने का कार्य आरक्षी अधीक्षक, पी० टी० एस०, डजारोबाग करेंगे । प्राचार्य, टी० टी० एस०, जमशेदपुर, मात्र उनकी अनुशासा करेंगे ।



॥ के० ए० जैकब ॥

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,  
बिहार, पटना ।

आदेश सं० 1194 /प्रशि०  
T-27-98/पार्ट 1

आरक्षी महानिरीक्षक प्रशिक्षण का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 3-7-2000.

प्रतिक्रिया:- कर्मी आरक्षी महानिदेशक/अमर आरक्षी महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक/श्रीमंत उपर महानिदेशक/आरक्षी उप-महानिरीक्षक/आरक्षी अधीक्षक एवं समादेष्टा को सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि: 2. आरक्षी उप-महानिरीक्षक-सह-प्राचार्य, पी०टी०सी०, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

3. आरक्षी अधीक्षक, एम०पी०टी०सी०, षडमा/आरक्षी अधीक्षक, सी०टी०सी० नाथनगर/प्राचार्य, टी०टी०एस०, जयदेवपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

के० ए० जेकब  
महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक  
बिहार, पटना ।

ब्रजेन्द्र/28.6.

मि० ० १११  
25-1-12

=====